

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

राँची

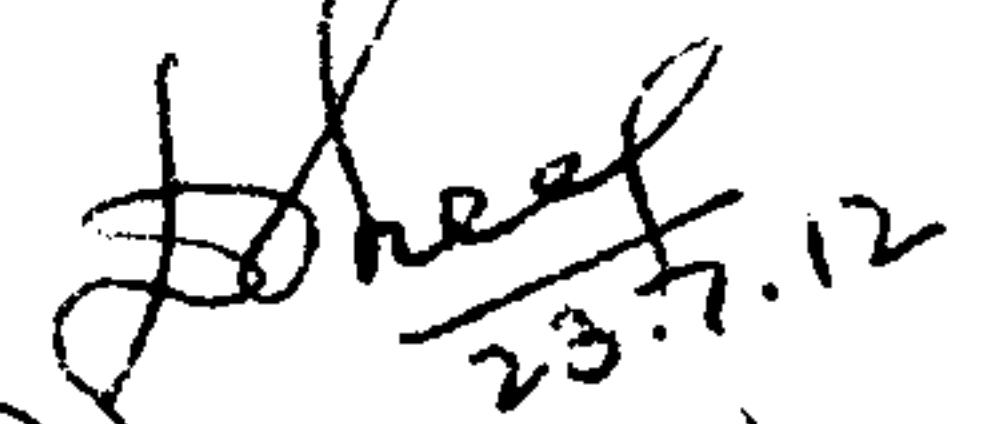
दिनांक :- 23-7-12

अधि.सं.-01/स्था.स्थाना./पद.-11-04/2011-3553/ दिनांक 28.06.2012 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के निम्नलिखित अधीक्षण अभियंता(यॉत्रिक) (चालू प्रभार) को कार्यकारी व्यवस्था के तहत उनके अपने ही वेतनमान में उनके नाम के सामने स्तम्भ-04 में अंकित पद/स्थान पर पदस्थापित करते हुए मुख्य अभियंता (यॉत्रिक) (स्वतन्त्र चालू प्रभार) के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./ जन्म तिथि /गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री आनन्दी प्रसाद सिंह एम 189/20.11.52/ खगड़िया	अधीक्षण अभियंता(यॉ.) (चा.प्र.) लघु सिंचाई अंचल, देवघर	मुख्य अभियंता(यॉत्रिक) (चा.प्र.) जल संसाधन विभाग, राँची	
2.	श्री कमलेश्वर प्रसाद एम 204/17.01.55/ पटना	अधीक्षण अभियंता(यॉ.) (चा.प्र.) सिंचाई यॉत्रिक अंचल, राँची	मुख्य अभियंता(यॉत्रिक) (चा.प्र.) जल संसाधन विभाग, राँची (श्री आनन्दी प्रसाद सिंह के दिनांक 30.11.12 को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्रभावी)।	

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. मुख्य अभियंता स्तरीय पद का कार्य करने हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा तथा उन्हें वही वेतन देय होगा जो पूर्व में देय है।
4. उपरोक्त पदाधिकारी जिन्हें कार्यकारी व्यवस्था के तहत मुख्य अभियंता (यॉत्रिक) (चालू प्रभार) के रूप में पदस्थापित किया गया है, कालान्तर में इनसे वरीयता क्रम में वरीय पदाधिकारी की निगरानी स्वच्छता एवं चारित्र्य प्रोन्नति के अनुकूल पाये जाने पर उन्हें मुख्य अभियंता (स्वतन्त्र चालू प्रभार) के रूप में अधिसूचित कर दिया जायेगा एवं तदनुसार जो पदाधिकारी कनीय होंगे उन्हें अधीक्षण अभियंता के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।
5. भविष्य में उपरोक्त अभियंताओं की निगरानी स्वच्छता की स्थिति प्रतिकूल पाये जाने पर उन्हें अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।
6. मुख्य अभियंता के पद पर नियमित पदस्थापन होने के बाद यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।
7. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। यह किसी प्रकार की प्रोन्नति का आधार नहीं होगा और न ही पूर्वोदाहरण का मामला होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

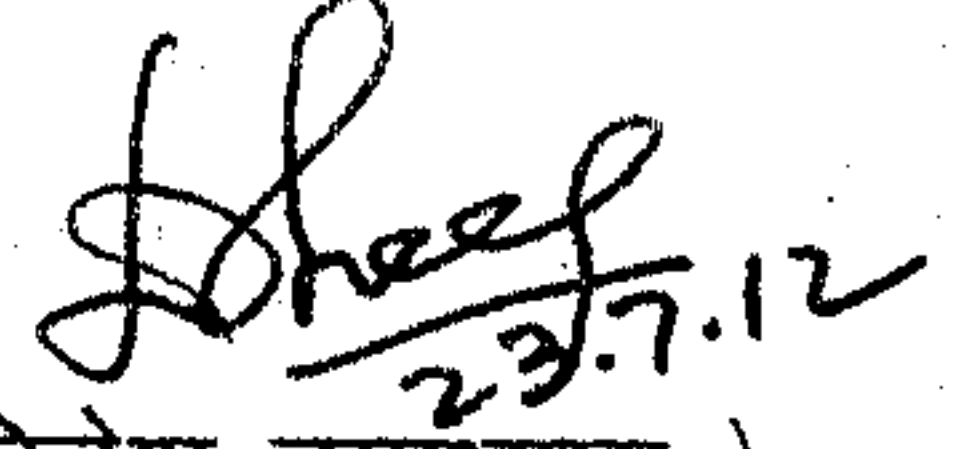

(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :- 3553

रॉची, दिनांक :- 23-7-12

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।



(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)

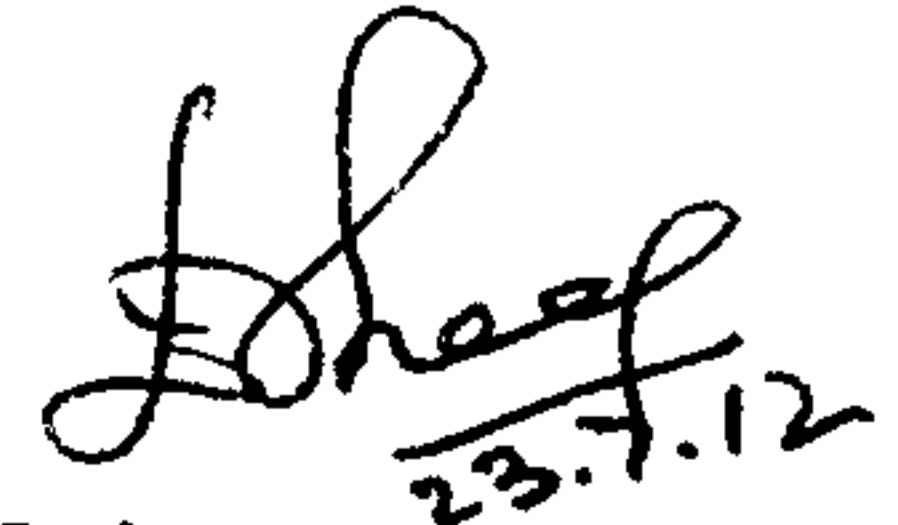
ज्ञापांक :- 3553

रॉची, दिनांक :- 23-7-12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/ माननीय उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि., रॉची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबन्ध निदेशक, झालको, रॉची/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब., 7यो., एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे। एक सप्ताह के अन्दर विरमित नहीं होने पर वे स्वतः कार्य से विरमित समझे जायेंगे।

3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, क्रमांक-01 के पदाधिकारी के माह अगस्त 2012 का वेतन भुगतान नये पदस्थापित पद के विरुद्ध ही करेंगे।



(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)